भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3790

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसान भूमि के तट कटाव से बचाव हेतु दीवार

3790. श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसान भूमि के तट कटाव से बचाव हेतु दीवार के लिए 23 करोड़ रु॰ की राशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बजट 2019-20 में अपेक्षित निधि आबंटित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास किसानों की भूमि के तट कटाव हेतु सुरक्षा दीवार के लिए कोई कार्यक्रम/योजना नहीं है। इसके अलावा, कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के दायरे में आता है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनके राज्यों के भीतर प्राथमिकता के अनुसार उनके स्वयं के संसाधनों के साथ बाढ़ प्रबंधन और कटाव-विरोधी योजनाओं की योजना, जांच और कार्यान्वयन किया जाता है। जानकारी के अनुसार, किसानों की भूमि पर तट कटाव हेतु सुरक्षा दीवार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

*****